न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनीता मीणा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 99/2024 दायर तारीख :– 06.11.2024

1. लालचन्द पुत्र दुर्गा जाति कुम्हार नि0 गाजेड़ा की ढाणी, डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. पांचीदेवी पत्नि भागचन्द
2. सोनीदेवी पत्नि हनुमानलाल
3. तेजाराम पुत्र रामू
   समस्त जाति कुमावत नि0 गाजेड़ा की ढाणी, डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.
4. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.
5. सब रजिस्टार जोबनेर जिला जयपुर राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री रामसिंह, विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

निर्णय दिनांक 28.03.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं0 258 खाता सं0 227 की आराजी खं0नं0 1829 रकबा 2.9084 हैक्टर वाकै ग्राम डेहरा प0ह0 डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. में स्थित है उक्त आराजीयात में वादी का 1/24 हिस्सा खातेदारी में अंकित है तथा वादी के उक्त खं0नं0 के सींव लगवा खाता सं0 नया 94 पुराना 79 की आराजी खं0नं0 4990/1833 रकबा 0.0683 हैक्टर व खं0नं0 2491/1833 रकबा 1.1962 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.2645 हैक्टर वाकै ग्राम डेहरा प0ह0 डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. में स्थित है जो अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 के नाम जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थी के हिस्से की आराजीयात के प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 सींव जोड़ पड़ौसी खातेदार है जो आयेदिन वादी की आराजीयात की सींव फौड़कर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। वादी ने प्रतिवादी को कई मरतबा मना किया तथा विवादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान करने को कहा लेकिन प्रतिवादी सीमाज्ञान न करवाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रास्ता वादी की भूमि पर कायम करना चाहते है। जब वादी अपने आराजीयात में फसल की सुरक्षा के लिए दिनांक 02.11.2024 को तारबन्दी करने लगा तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने वादी को तारबन्दी नहीं करने दी ओर वादी की सींव को फोड़कर उसमें कब्जा करने की नियत से टैक्टर चलाने पर आमदा हो गया ओर लड़ाई झगड़ा करने लगा तब बड़ी मुश्किल से वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 को रोका लेकिन प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी कि आयंदा तुम्हारी जमीन में कब्जा कर मेरी जमीन में मिलाकर जबरन रास्ता कायम कर भू–माफिया को बेचान कर दूंगा ओर तुम्हें बेदखल कर दूंगा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

इसलिए प्रार्थी ने उक्त प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय में पेश किया है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

3. वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी की प्रति पेश की है।

4. उभय प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं0 258 खाता सं0 227 की आराजी ख0नं0 1829 रकबा 2.9084 हैक्टर वाकै ग्राम डेहरा प0ह0 डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. में स्थित है उक्त आराजीयात में वादी का 1/24 हिस्सा खातेदारी में अंकित है तथा वादी के उक्त ख0नं0 के सींव लगवा खाता सं0 नया 94 पुराना 79 की आराजी खं0नं0 4990/1833 रकबा 0.0683 हैक्टर व खं0नं0 2491/1833 रकबा 1.1962 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.2645 हैक्टर वाकै ग्राम डेहरा प0ह0 डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. में स्थित है जो अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 के नाम जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थी के हिस्से की आराजीयात के प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 सींव जोड़ पड़ौसी खातेदार है जो आयेदिन वादी की आराजीयात की सींव फौड़कर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। वादी ने प्रतिवादी को कई मरतबा मना किया तथा विवादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान करने को कहा लेकिन प्रतिवादी सीमाज्ञान न करवाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रास्ता वादी की भूमि पर कायम करना चाहते है। जब वादी अपने आराजीयात में फसल की सुरक्षा के लिए दिनांक 02.11.2024 को तारबन्दी करने लगा तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने वादी को तारबन्दी नहीं करने दी ओर वादी की सींव को फोड़कर उसमें कब्जा करने की नियत से टैक्टर चलाने पर आमदा हो गया ओर लड़ाई झगड़ा करने लगा तब बड़ी मुश्किल से वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 को रोका लेकिन प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी कि आयंदा तुम्हारी जमीन में कब्जा कर मेरी जमीन में मिलाकर जबरन रास्ता कायम कर भू–माफिया को बेचान कर दूंगा ओर तुम्हें बेदखल कर दूंगा इसलिए प्रार्थी ने उक्त प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय में पेश किया जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की आराजी खं0नं0 1829 में 1/24 हिस्सा है तथा खं0नं0 4990/1833, खं0नं0 2491/1833 अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 की खातेदारी की आराजीयात है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। प्रार्थी की आराजी खं0नं0 1829 के 1/24 हिस्सें की आराजी को अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 अपनी आराजीयात में मिलाना चाहते है तथा प्रार्थी को नाजायज परेशान कर रहे है

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तथा प्रार्थी को अपनी आराजीयात में तारबन्दी भी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी को अपनी आराजीयात को उन्नत व विकसित करने का हक व अधिकार है परन्तु अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 प्रार्थी को नाजायज परेशान कर उसकी आराजीयात को अपनी आराजीयात में मिलाकर उक्त आराजीयात को बेचान करने पर आमंदा है तथा प्रार्थी को अपनी आराजीयात में बाजौत करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अगर अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 द्वारा प्रार्थी की आराजीयात को अपनी आराजीयात में मिलाकर भविष्य में विक्रय होने से इंकार नहीं किया जा सकता है वादग्रस्त भूमि के विक्रय होने से प्रार्थी को नए पक्षकारों के साथ वाद लड़ना होगा, वाद व प्रार्थना पत्र के नए पक्षकार जुड़ेगे, वाद भूमि के विक्रय व खुर्दबुर्द होने से प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्सा से वंचित हो जायेगे जिस कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति व असुविधा होगी।

वादग्रस्त भूमि के विक्रय से वाद विलष्टता व वाद बहुलता की संम्भावना है जिससे पक्षकारान को असुविधा व क्षति की संम्भावना है इसलिए वादग्रस्त भूमि में दौरानें वाद यथास्थिति कायम रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 आराजी खं0नं0 1829 रकबा 2.9084 हैक्टर वाकै ग्राम डेहरा प0ह0 डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. में प्रार्थी के कब्जें काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे, ना ही प्रार्थी उक्त आराजीयात की कोई सींवडोल तोड़े, ना ही जबरन टैक्टर चलाकर बाजोत करे, ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे, ना ही प्रार्थी को तारबन्दी करने से रोके तथा अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 की आराजी खं0नं0 2490/1833 व 2491/1833 में प्रार्थी की आराजी खं0नं0 1829 को न मिलावे। ना ही राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन करवाये तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करे। मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर